

राजस्थान राज-पन

विशेषांक

Rega. No. RJ. 2539.

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 4, गुरुवार, शाके 1897-भ्रप्रेल 24, 1975 Vaisakha 4, Thursday, Saka 1897 — April 24, 1975

माग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के भ्रधिनियम।

विधि विभाग श्रिधसूचना

जयपुर, भ्रप्रेल 24, 1975

संस्या प. 2 (10) विधि। 73.— राजस्थानः राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित पिधिनियम जिसे राष्ट्रपति की धनुमति दिनांक 24 ध्रप्रेल, 1975 ई. को प्राप्त हुई, एतद-द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:——

राजस्थान (पृथु एवं पक्षी बलि (निपेध) ग्रिधिनियम, 1975

(अधिनियम संख्या 21 सन् 1975)

राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 19 75 को प्राप्त हुई

राजस्थान राज्य में मन्दिरों भी धन्दर अथवा मन्दिरों के पनिसर में अथवा आर्मिक रूजा के सार्वेषनिक स्थानों में पशुश्रों एवं पक्षियों की बलि निपेध किये बाने हेतु प्राथित्यम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के छव्बीसवें यर्थ में बह निम्नलिखित इप में प्रधिनियमित हो :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -- (1) यह अधिनियम राजस्थान पशु एवं पत्नी बिल (निषेभ) प्रधिनियम, 1975 कहलायेंगा।
 - (2) इसका विस्तार समूचे राजस्थान राज्य पर होगा ।
 - (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार शासकीय राज-पन्न के बाधसूचना हारा नियत करे।
 - ा. विरमाषायें इस प्रधिनियम में, जब तक संदर्भ से ग्रन्यथा भपेक्षित म हो-
 - (क) 'मन्दिर के परिसर' से भ्रमित्राय मन्दिर से सम्बद्ध कोई मण्डप, भवन

9

तथा मन्दिर से सम्बद्ध भूमि जो साधारणतया मन्दिर में पूजा से सम्बद्ध किसी मी प्रयोजन के लिये काम में ली जाती हो, चाहे उक्त भूमि मन्दिर की संपत्ति है अथवा नहीं है, तथा म दिर से सम्बद्ध भूमि का सम्पूर्ण क्षेत्र जिस पर मेला जुड़ता हो अथवा याता की जाती हो, सम्मिलत है;

- (ख) 'बलि' से ग्रमिप्रेत हैं किसी देवी देवता की प्रसन्न करने के इरादे ग्रथवा प्रयोजन से किसी पशु ग्रथवा पक्षी को मारा जाना ग्रथवा उसका ग्रंगभंग किया जाना;
- (ग) 'मन्दिर' से ग्रभिप्रेत किसी भी नाम से जानने योग्य ऐसे स्थान से है जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा-स्थल के लिये काम में लिया जा रहा हो ग्रौर सार्वजनिक धार्मिक पूजा-स्थल के रूप में समर्पित हो; तथा
- (घ) 'धार्मिक पूजा का सार्वजनिक स्थान' से जनता ग्रथवा उसके किसी ग्रनुभाग हि... धार्मिक पूजा या भित्त के प्रयोजन के उपयोग हेतु ग्राणयित या पहुंच का कोई स्थान ग्रमिप्रेत है।
- 3. मन्दिर में प्रयदा मन्दिर के परिसार में अथवा धार्मिक पूजा के सार्वजितिक स्थान में पशु अथवा पशी की विलि निर्धाय किसी भी मन्दिर में अथवा उसके परिसार अथवा अन्य धार्मिक पूजा के सार्वजितिक स्थान में न तो कोई व्यक्ति किसी भी पशु अथवा पक्षी की विलि देगा अथवा न ही किसी को बिल देने में सहायता प्रदान करेगा।
- 4. बिल श्रादि ग्रह्मों का निषेध.—कोई की व्यवित किसी मन्दिर श्रणवा उसकी परिसर में श्रणवा किसी श्रन्म धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के भीतर किसी बिलदान में,—
 - (क) पुरोहिती या पुरोहिती की प्रस्थापना, या
 - (ख) कोई काम या काम की प्रस्थापना, या
 - (ग) सेवा, सहायता या सहभागिता प्रथवा सेवा, सहायता या सहभागिता की प्रस्थापना,

नहीं करेगा।

- 5. मन्दिर का ग्रथवा मन्दिर के तरार श्रथवा श्रन्य धार्मिक पूजा के सावंजनिक स्थान का बिल के लिये निषेध.—कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर किसी भी ऐसे स्थान पर बिल का कार्य नहीं निवाहने देगा जो—
 - (क) किसी मन्दिर अथवा उसके परिसर अथवा अन्य धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान में धवस्थित है, भौर
 - (ख) उसके धिषकार में ग्रयवा उसके नियंत्रण में है।

- 6. दण्ड.—(1) जो कोई इस भ्रधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा भ्रयवा उल्लंघन किये जाने के लिये सहायता भ्रयवा दुष्प्रेरण करेगा, भ्रपराधी उल्लंघन किये जाने के लिये सहायता भ्रयवा दुष्प्रेरण करेगा, भ्रपराधी उहराये जाने पर 6 माह तक की जैल ग्रयवा रुपये 500/- तक का जुर्माना भ्रथवा दोनों से एक साथ दिण्डत किया जा सकेगा।
- (2) जो कोई ग्रधिनियम की धारा 4 ग्रथवा धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, ग्रथवा उल्लंघन किये जाने में सहायता प्रदान करेगा, ग्रथवा दुष्प्रेरण करेगा ग्रपराधी उल्लंघन किये जाने में सहायता प्रदान करेगा, ग्रथवा दुष्प्रेरण करेगा ग्रपराधी उहराये जाने पर 3 माह तक की जेल ग्रथवा रूपये 300/- तक के जुर्माने ग्रथवा दोनों से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।
- प्रपराधों की सुनवाई.—इस भ्रधिनियम के भ्रन्तर्गत भ्राने वाले भ्रपराधों की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
- 8. निषेधाज्ञा जारी किया जाना——(1) यदि कार्य-पालक मजिस्ट्रेट का किसी परिवाद प्रयवा ग्रन्य सूचना प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है कि इस ग्रिधिनयम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाकर बिल द्वारा ग्रनुष्ठान किया जाने वाला है, तो वह, व्यवस्था करने वाले ग्रथवा ग्रनुष्ठान करने वाले एवं इससे सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार बिल के कृत्य किये जाने को निषिद्ध करने हतु निषेधाज्ञा जारी कर सकेंगा।
- (2) जो कोई यह जानते हुए भी कि उप-धारा (1) के ग्रंतर्गत उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की जा चुकां है, निषेधाज्ञा की ग्रवज्ञा करेगा, ग्रवराधी ठड्राये जाने पर या तो एक वर्ष तक की जेल ग्रववा 1,000/- रुपये तक जुर्माने ग्रववा दोनों से द्वण्डित क्षिया चा सकेगा.
- 9. निषेधात्मक ग्रादेश लागू करने या कोई शिकायत दाखिल करने के लिये पुलिस थाने के भारसाधक के कर्तव्य.—(1) यह सूचना प्राप्त होने पर कि बिलदान का प्रबन्ध किया गया है या किया जाने वाला है, जब तक दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करने के यथोचित ग्राधार नहीं हों, जिन्हें लेखबद्ध किया जायेगा, पुलिस थाने का भारसाधक ग्रिधकारी इस ग्रिधिनियम ग्राधार नहीं के उल्लंघन में जहां बिलदान किया जाने वाला हो वहां के कार्य-पालक मिजस्ट्रेट को धारा 8 के ग्रधीन प्रतिषेधात्मक ग्रादेश प्राप्त करने के लिये ग्रावेदन करेगा।
- (2) यह सूचना प्राप्त होने पर कि इस ग्रधिनियम के ग्रधीन कोई ग्रपराध किया गया है, पुलिस थाने का भारसाधक ग्रधिकारी, जब तक दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करने के यथोचित ग्राधार नहीं हो जिन्हें लेखबद्ध किया जायेगा, ऐसे ग्रपराधों के विचारण की ग्रधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रें ट के समक्ष, यथा संभव शीन्न, शिकायत दाखिल करेगा।

सम्पतराज सिंघी, शासन सचिव । (ENGLISH TRANSLATION)

THE RAJASTHAN ANIMALS AND BIRDS SACRIFICE (PROHIBITION) ACT, 1975.

(Act No. 21 of 1975)

[Received the assent of the President on the 24th day of April, 1975]

An Act to prohibit sacrifice of animals and birds in, or within the premises of the temples or places of public religious worship in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twenty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

- 1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act shall be called the Rajasthan Animals and Birds Sacrifice (Prohibition) Act, 1975.
 - (2) It snail extend to whole of the State of Rajasthan.
- may, by notification in the Official Gazette, appoint.
 - 2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (a) 'Temple Premises' means a mandap, building attached to the temple, and a land attached to the temple, which is generally used for the purpose of worship, in the temple, whether such land is a property of the temple or not, and includes whole of the area attached to the temple, where a fair is organised or a Yatra is performed.
 - (b) 'Sacrifice' means killing or mutilating an animal or a bird with the intention or for the purpose, of pleasing a deity or a god;
 - (c) Temple' means a place, know by whatever name; which is being used as a public place of relignus worship and dedicated as a public place of religious worship, io and
- Place of public religious worship' means any place intended for use by, or accessible to, the public or a section thereof; for the

Extraordinary, part IV-C (II), dated 24-1-1975.

THE RAJASTHAN ANIMALS AND BIRDS BACRIFICE (PROHIBITION) ACT, 1975.

- 3. Sacrifice of animals or birds in, or within the premises of, temple; or in any place of public religious worship prohibited.

 No person shall sacrifice an animal or a bird, or assist in sacrificing it in temple or within the premises thereof, or in any other place of public religious worship.
 - 4. Performing of a sacrifice etc. prohibited.—No person shall,—
 - (a) officiate or offer to officiate at, or
 - (b) perform or offer to perform, or
 - ticipate in,—

any sacrifice in a temple or its premises or in any other place of public religious worship.

- 5. Prohibition of use of a temple or temple premises or any other place of public religious wership for a sacrifice.—No person shall, knowingly allow the performance of sacrifice at a place, which is:—
 - (a) situated in a temple or, its premises or in any other place of public religious worship; and
 - (b) in his possession or under his control.
- 6. Punishment.—(1) Whoever shall contravene or assist or abet in contravention of, the provisions of section 3 of this Act, may on conviction, be punishable with imprisonment which may extend up to 6 months or with fine up to Rs. 500/- or with both simultaneously.
- of the provisions of section 4 or section 5 of this Act, may be punishable Rs. 300/- or with both simultaneously.
- 7. Hearing of offences. The offence falling under this Act shall be heard by a Judicial Magistrale of the First Class.
- 8. Issue of prohibitory Order.—(1) If, on receipt of a complaint or any information, the Executive Magistrate is satisfied that a sacrifice is issue an order prohibiting the persons arranging or performing such sacrifice or those connected therewith.
- (2) Whoever, having known that a prohibitory order has been issued against him under sub-section (1), contravenes it, may on conviction, be punishable either with imprisonment which may extend up to 1 year or with fine up to Rs. 1,000/- or with both.

the Act may be privatable?

RAJASTHAN ANIMALS AND BIRDS SACRIFICE (PROHIBITION) ACT, 1975,

9. Duties of an Incharge of a Police Station for making an application for a prohibitory order or for filing a complaint .- (1) ving the information that a sacrifice has been arranged or has to be performed, the Officer-Incharge of a Police Station, shall, unless there are reasonable grounds which shall be recorded in writing for not believing the said information, make an application to the Executive Magistrate where the sacrifice is going to be performed in contravention of the provisions of this Act for obtaining a prohibitory order under section 8.

(2) On receiving the information that an offence under this Act has been committed, the Officer-Incharge of a Police Station shall, unless there are reasonable grounds which shall be recorded in writing for not believing the said information, file a complaint as early as possible before the Judicial Magistrate having jurisdiction to try such offences.